उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **424**/2025/1353/41-1-2025-CN-1771956-2023
लखनऊ:दिनांक: 25 अप्रैल,2025

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपदमथुरा में मथुरा गोवर्धन रोड गुलमोहर गार्डन से जमुनाबता गार्डन चौराहे तकसोलर लगाने का कार्य एवं मथुरा में नगर निगम सीमा से एक्सप्रेसवे राया कटतक सोलर लाइट लगाने के कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-406/2025/902/41-1-2025-001-CN-1771956-2023, दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के पृष्ठांकन संख्या-9 पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मथुरा।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।